संख्या-7/2026/370/8-4099/27/2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2026

विषयः आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मेट्रो कॉरिडोर-II (आगरा कैंट से कालिन्दी विहार) में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-207/एस0एन0सी0 दिनांक 18.11.2025 एवं पत्र सं0-814 /एस0एन0सी0 24.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मेट्रो कॉरिडोर-II (आगरा कैंट से कालिन्दी विहार) में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु मौजा चक अव्वल, तहसील सदर आगरा के अन्तर्गत खसरा संख्या-618 नजूल भूखण्ड संख्या-1619 में संचालित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर की पार्क के रूप में रिक्त नजूल भूमि में से 550 वर्गमीटर भूमि उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 के आंवटन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मेट्रो कॉरिडोर-II (आगरा कैंट से कालिन्दी विहार) में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु मौजा चक अव्वल, तहसील सदर आगरा के अन्तर्गत खसरा संख्या-618 नजूल भूखण्ड संख्या-1619 में संचालित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर की पार्क के रूप में रिक्त नजूल भूमि में से 550 वर्गमीटर भूमि उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 को प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) उक्त हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) प्रश्नगत नजूल भूमि तीन वर्षों तक प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाये जाने की दशा में उक्त भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करनी होगी।

(4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) आवंटित नजूल भूमि का उपयोग केवल नियत प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 द्वारा उक्त नजूल भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किसी अन्य विभाग/निजी संस्था/व्यक्ति को कदापि नहीं किया जायेगा।

(6) प्रभावी नियम/विनियमन/महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों (यदि कोई हो) में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2026/370(1)/8-4099/27/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवोयोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, आगरा मण्डल, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 एवं 7 ,उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in